राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

आदर्श विद्यालय

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक 5, पंचम तल, कमरा नं. 601
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, ओ.टी.एस. पुलिया के सामने, जयपुर–302017
E-mail: adrutrsmsa@gmail.com

दूरभाष नं. 0141–2715532

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/पूर्व प्राथमिक शिक्षा–एबीएल रूम/2020–21/18366 दिनांक 22/01/2021

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, समस्त जिले।

विषय :– भौतिक रूप से समन्वित आंगनवाडी केन्द्र एवं स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूलों में एबीएल रूम विकसित किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– परिषद् के पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रकोष्ठ का पत्रांक 17560, दिनांक 21.12.2020

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा जिलेवार चिन्हित भौतिक रूप से समन्वित आंगनवाडी केन्द्रों (संख्या – 18,360) एवं स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों (संख्या – 134) में प्रकियाधीन पूर्व प्राथमिक शिक्षा – एबीएल रूम विकास कार्य (ब्लैक बोर्ड पेन्ट एवं 2-in-1 Green + White Board तथा डिजिटल वॉल पेण्टिंग व फ्रण्ट लिट फ्लैक्स विथ आयरन फ्रेम संस्थापन) के संबंध में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समस्त जिले को दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त के संबंध में निम्न दिशा–निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करावें –

1. अधीनस्थ सीबीईओ द्वारा संबंधित ब्लॉक में उक्तानुसार एबीएल रूम विकास कार्य सम्पन्न होने के पश्चात सूचना जिला परियोजना कार्यालय को प्रेषित किये जाने वाला निर्धारित प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट–अ के अनुसार होगा।
2. जिला परियोजना कार्यालय द्वारा संबंधित जिले में उक्तानुसार एबीएल रूम विकास कार्य सम्पन्न होने के पश्चात सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को प्रेषित किये जाने वाला निर्धारित प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट–ब के अनुसार होगा।
3. एबीएल रूम के निरीक्षण/अवलोकन हेतु जिला /ब्लॉक/पीईईओ/यूसीईईओ/ सीआरसीएफ स्तरीय अधिकारियों के लिए निर्धारित लक्ष्य अनुसार किये जाने वाले निरीक्षण / अवलोकन का निर्धारित प्रपत्र इस पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट–स के अनुसार होगा।

नोट :–

<u>स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों के साथ आंगनवाडी केन्द्र समन्वित नहीं होने के कारण आंगनवाडी केन्द्रों के लिए निर्धारित किए गए सामान्य जानकारी संबंधी सूचना फ्लैक्स मय आयरन फ्रेम को स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में संस्थापित नहीं किया जाना सुनिश्चित करें/करावें।</u>

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

(हस्ताक्षर) 19.1.21
(एम. आर. बागडिया)
अति. राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्कूलशिप, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस, जयपुर।
5. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम, राजस्कूलशिप, जयपुर।
6. उपायुक्त–प्रथम, राजस्कूलशिप, जयपुर
7. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
8. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, समस्त ब्लॉक।
9. पीईईओ/यूसीईईओ/सीआरसीएफ, समस्त।
10. संबंधित संस्थाप्रधान................
11. संबंधित फर्म ....
12. रक्षित पत्रावली।

for उपायुक्त–प्रथम

D:\Adarsh & Utkrisht\Letter_2021.docx

प्रेषित :- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक, बाड़मेर
कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जि. बाड़मेर
मूल ही भेजकर निवेदन है कि पत्रानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
(हस्ताक्षर) 22/1/21

www.rajteachers.com

परिशिष्ट 'अ'

राज्य के चिन्हित भौतिक रूप से समन्वित आंगनवाडी केन्द्रों में एबीएल रूम विकास (डिजिटल वॉल पेण्टिंग व फ्रण्ट लिट फ्लैक्स विथ आयरन फ्रेम संस्थापन) कार्य का सत्यापन

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि समस्त पीईईओ/यूसीईईओ/सीआरसीएफ से प्राप्त सूचना के अनुसार ब्लॉक .... जिला .... के चिन्हित भौतिक रूप से समन्वित कुल .... आंगनवाडी केन्द्रों में से .... आंगनवाडी केन्द्रों में एवं कुल .... स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में से .... मॉडल विद्यालयों (कुल संख्या –) में फर्म मैसर्स ....द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के निर्देश एवं निर्धारित स्पेसीफिकेशन के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा – एबीएल रूम विकास हेतु प्रति आंगनवाडी केन्द्र 10 डिजिटल वॉल पेण्टिंग चार्ट्स (Size - 4X3 फीट प्रति चार्ट, कुल – 120 वर्गफीट) तथा आंगनवाडी केन्द्र/कक्ष के बाहर सुदृश्य स्थान पर फ्रण्ट लिट फ्लैक्स विथ आयरन फ्रेम (फ्लैक्स की Size - 5X3 फीट, कुल – 15 वर्गफीट) संस्थापित किये जाने का कार्य संतोषजनक रूप से गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कर दिया गया है। ब्लॉक के समस्त पीईईओ/यूसीईईओ/सीआरसीएफ से समेकित प्रमाणित सूचना प्राप्त कर सुरक्षित कार्यालय अभिलेख के रूप में संधारित कर ली गई है। ब्लॉक की समेकित प्रमाणित सूचना अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

नोट :– स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में फ्रण्ट लिट फ्लैक्स विथ आयरन फ्रेम संस्थापन का कार्य सम्पादित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर ....

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

ब्लॉक :

जिला :

www.rajteachers.com

परिशिष्ट 'ब'

राज्य के चिन्हित भौतिक रूप से समन्वित आंगनवाडी केन्द्रों में एबीएल रूम विकास (डिजिटल वॉल पेण्टिंग व फ्रण्ट लिट फ्लैक्स विथ आयरन फ्रेम संस्थापन) कार्य का सत्यापन

प्रमाण – पत्र

जिला ....

प्रमाणित किया जाता है कि समस्त ब्लॉक से प्राप्त सूचना के अनुसार जिले के चिन्हित भौतिक रूप से समन्वित कुल .... आंगनवाड़ी केन्द्रों में से .... आंगनवाडी केन्द्रों में एवं कुल .... स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में से .... मॉडल विद्यालयों (कुल संख्या –) में फर्म मैसर्स .... द्वारा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के निर्देश एवं निर्धारित स्पेसीफिकेशन के अनुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षा – एबीएल रूम विकास हेतु प्रति आंगनवाडी केन्द्र 10 डिजिटल वॉल पेण्टिंग चार्ट्स (Size - 4X3 फीट प्रति चार्ट, कुल – 120 वर्गफीट) तथा आंगनवाडी केन्द्र/कक्ष के बाहर सुदृश्य स्थान पर फ्रण्ट लिट फ्लैक्स विथ आयरन फ्रेम (फ्लैक्स की Size - 5X3 फीट, कुल – 15 वर्गफीट) संस्थापित किये जाने का कार्य संतोषजनक रूप से गुणवत्तापूर्वक पूर्ण कर दिया गया है, तदनुसार संबंधित फर्म को उक्त कार्य के सम्पादन हेतु नियमानुसार भुगतान करने की अभिशंषा की जाती है। जिले के समस्त ब्लॉक की समेकित प्रमाणित सूचना प्राप्त कर सुरक्षित कार्यालय अभिलेख के रूप में संधारित कर ली गई है।

नोट :– स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल विद्यालयों में फ्रण्ट लिट फ्लैक्स विथ आयरन फ्रेम संस्थापन का कार्य सम्पादित नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर ....
अति. जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा

हस्ताक्षर ....
मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा

www.rajteachers.com

परिशिष्ट 'ख'

राज्य के चिन्हित भौतिक रूप से समन्वित आंगनवाडी केन्द्रों में विकसित किये गये एबीएल रूम (ब्लैक बोर्ड पेन्ट एवं 2-in-1 Green + White Board तथा डिजिटल वॉल पेण्टिंग व फ्रण्ट लिट फ्लैक्स विथ आयरन फ्रेम संस्थापन कार्य) –

जिला/ब्लॉक/पीईईओ/यूसीईईओ/सीआरसीएफ स्तरीय अधिकारियों के लिए निरीक्षण/ अवलोकन प्रपत्र

जिला : .... ब्लॉक : ....

1) अवलोकन दिनांक :

2) आंगनवाडी केन्द्र का नाम :

3) आंगनवाडी केन्द्र का कोड :

4) समन्वयक विद्यालय का नाम :

5) संस्थाप्रधान का नाम एवं पद :

6) संस्थाप्रधान का मो. नं. :

(परिषद् के पत्रांक 9976, दिनांक 04.02.2020 एवं 17560 दिनांक 21.12.2020 का संदर्भ लेवें)

7) क्या निर्धारित दिशा–निर्देशानुसार आंगनवाडी कक्ष की आन्तरिक तीन दीवारों पर ब्लैक बोर्ड पेन्ट किया गया है ? (हाँ/नहीं) :

8) क्या निर्धारित दिशा–निर्देशानुसार 2-in-1 Green + White Board () का क्रय कर आंगनवाडी कक्ष की सामने वाली दीवार पर उक्त को स्थापित कर लिया गया है ? (हाँ/नहीं) :

8A क्या उक्त की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि कर ली गई है ? (हाँ/नहीं) :

(परिषद् के कार्यादेश एवं पत्रांक 17560 दिनांक 21.12.2020 का संदर्भ लेवें)

9) क्या निर्धारित दिशा–निर्देशानुसार आंगनवाडी कक्ष में डिजिटल वॉल पेण्टिंग के निर्धारित 10 चार्ट्स (Size 4x3 Ft. each) संस्थापित कर दिये गये हैं ? (हाँ/नहीं) :

10) क्या आंगनवाडी केन्द्र/कक्ष के बाहर सुदृश्य स्थान पर फ्रण्ट लिट फ्लैक्स विथ आयरन फ्रेम (फ्लैक्स की Size - 5X3 फीट, कुल – 15 वर्गफीट) संस्थापित कर दिया गया है ? (हाँ/नहीं) :

10A क्या उक्त की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि कर ली गई है ? (हाँ/नहीं) :

विशेष विवरण/
निरीक्षण संबंधी
टिप्पणी –

www.rajteachers.com

हस्ताक्षर ....
अवलोकनकर्ता का नाम एवं पद
पदस्थापन
मो. नं.